

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक:-ई-33/नियु0/लै0टे0/1248/2011/310

दिनांक:- 28-3-2019

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 228 दिनांक 2.3.12 के द्वारा लैब टेक्नीशियन पद पर चयन हेतु जारी प्रतीक्षा सूची में पूर्व में चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों को यथावत रखते हुए नव चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के लिए प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7900/- पर लैब टेक्नीशियन पद पर नियुक्ति प्रदान कर उनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशनल ट्रेनी) सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200-20200, ग्रेड पे 2400 रूपये का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। चयनित अभ्यर्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम / पिता,पति का नाम	गृहजिला	जन्म तिथि	जाति वर्ग	स्त्री / पुरुष	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	अभिषेक जैन / हनुमानप्रसाद जैन	टोंक	8/6/79	GEN	M	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के अधीन
2	आदर्श किशोर शर्मा / ओमप्रकाश	अलवर	30/6/76	GEN	M	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के अधीन
3	दलीपकुमार बागडवा / श्योकरगराम	हनुमानगढ	1/1/70	OBC	M	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ के अधीन
4	शक्ति सिंह / जीवन सिंह	भीलवाड़ा	15/7/71	OBC	M	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा के अधीन
5	राम चरण / गंगाराम	नागौर	27/7/87	OBC	M	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के अधीन
6	लोकेश कुमार सैनी / कैलाश प्रसाद	अलवर	1/6/89	OBC	M	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के अधीन
7	शंकर लाल / किशन लाल लाम्बा	सीकर	7/5/85	OBC	M	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर के अधीन

qhm

8	अभिषेक / रामेश्वरलाल कुडी	सीकर	30/6/87	OBC	M	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर के अधीन
9	सीताराम / कृष्ण कुमार	हनुमानगढ	14/2/73	OBC	M	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ के अधीन
10	किशन सिंह/राधा किशन	उदयपुर	1/03/68	SC	M	अधीक्षक महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर
11	रामलाल मेघवाल/ गंगाराम मेघवाल	उदयपुर	7/06/66	SC	M	अधीक्षक महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर
12	बाबूलाल/रामनाथ बैरवा	टोंक	5/7/66	SC	M	अधीक्षक एस0एम0एस0 चिकित्सालय जयपुर

उपरोक्त उल्लेखित अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को दिनांक 20.4.12 तक आवश्यक रूप से देवें। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र), दिनांक 22.5.06 से पूर्व यदि विवाह हुआ हो तो शपथपत्र एवं दिनांक 22.5.06 के पश्चात हुए विवाह के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हो, प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी की लैब टेक्नीशियन पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता की जांच अपने स्तर पर भी करते हुए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रति से मिलान करें। इन प्रमाण पत्रों की जांच एवं सही पाये जाने की संतुष्टि पश्चात ही अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करावे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में यदि अनियमितता पाई जाये तो प्रकरण तुरन्त निदेशालय को भिजवाये। कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। आपराधिक दोष सिद्धि न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वैरीफिकेशन) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो, प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराया जावेंगा। आचरण संदिग्ध अथवा दोष सिद्धि के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्णरूप से तैयार कर मय दस्तावेजात के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेंगे।

चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डक कार्यवाही का भागी होगा। किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। सेवारत कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी से लैब टेक्नीशियन पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही कार्य पर लिया जाए। सेवारत कर्मचारियों को नियमानुसार पे-प्रोटेक्शन का लाभ देय होगा।

दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नही होने का शपथपत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो, उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं माना जावेगा।

६०

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांक:-ई-33/नियु0/लै0टे0/1248/2012/ 310

दिनांक:- 28-3-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, माननीय पंचायतराज मंत्री, राज0 जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर ।
- 5- संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान ।
- 6- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर ।
- 7- निदेशक, जन स्वास्थ्य/एड्स/प0क0 मुख्यालय ।
- 8- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ।
- 9- संयुक्त निदेशक, योजना, मुख्यालय ।
- 10- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं जोन राजस्थान ।
- 11- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।
- 12- समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान को भेजकर लेख है कि जिन अभ्यर्थियों का आपके अधीन लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उनका पदस्थापन आपके अधीन उन चिकित्सा संस्थाओं में तत्काल प्रभाव से कर दिया जावे जहाँ पद रिक्त है तथा जहाँ पर पैथोलॉजी लैब कार्यशील अवस्था में है। किसी भी परिस्थिति में कोई लैब टेक्नीशियन अनुपयोगी ना रहे यह सुनिश्चित किया जावे। पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराये एवं इस संबंध में सूचना इस निदेशालय को भिजवाये। आपके अधीन पदस्थापित किए गए अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र आपको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जा रहे हैं। आप आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को मूल शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर सही पाये जाने एवं पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत कर्तव्य पर लें। यदि किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता संदिग्ध पायी जावे तो उन मामलों में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण इस निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिशांसा सहित अग्रेषित करें। सेवारत कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी से लैब टेक्नीशियन पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही कार्य पर लिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यग्रहण उपरान्त भी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन 30 दिवस की अवधि में संबंधित राज्य के बोर्ड/संस्थान में वाहक भेजकर आवश्यक रूप से करवाया जावे। अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज इसके पश्चात ही लौटाये जावे एवं सत्यापन की रिपोर्ट भी अविलम्ब निदेशालय को भेजे। इस प्रक्रिया में हुई किसी भी अनियमितता के लिए आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।
- 13- जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि लैब टेक्नीशियन पद पर चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन का समाचार राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
- 14-प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 15-श्री/श्रीमती/सुश्री..... को आवेदन पत्र में अंकित पते पर द्वारा संबंधित अधिकारी के माध्यम से।
- 16-आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर